Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

SECOND COPY

SRO Unique ID	201701019000188R	Receipt Date	11-JAN-2017 11:55
S R Location	JAIPUR-V		
Receipt No	**RJ1111421701198**		
Name Of Seller	JDA		
Name Of Buyer	AURIC INFRATECH PVT LTD		
Type of Document	Article 33(C)(Ii) Lease Deed For Local Bodies (Patta)		
ACC Reference	NONSH/PREM PRAKASH/JAIPUR		

Paid Fees

Particulars	**Amount (Rs.)**	**Particulars**	**Amount (Rs.)**
Registration Fees	₹ 46660	CSI	₹ 300
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 0
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	**₹ 46960**	**Service Charges**	**₹ 40**
Grand Total	**₹ 47000**		

(Rupees Forty-Seven Thousand Only)

Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

उप पंजीयक, जयपुर (पंचम) (राज.) पंजीयन विभाग SUB REGISTRAR, JAIPUR-V

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-RJ07843456048132P
Certificate Issued Date	:	11-Jan-2017 11:16 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ rj3045204/ JAIPUR/ RJ-JP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJ304520410408450819981P
Purchased by	:	AURIC INFRATECH PVT LTD
Description of Document	:	Article 33(c)(ii) Lease Deed for Local Bodies (Patta)
Property Description	:	KH NO . 629 AND OTHERS GRAM JAISINGHPURA BAS BHANKROTA SANGANER JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	JDA
Second Party	:	AURIC INFRATECH PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	AURIC INFRATECH PVT LTD
Stamp Duty Payable	:	46,660 (Forty Six Thousand Six Hundred And Sixty only)
Surcharge for Infrastructure Development	:	NOT APPLICABLE
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow	:	NOT APPLICABLE
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	46,660 (Forty Six Thousand Six Hundred And Sixty only)

SUB-REGISTRAR, JAIPUR-V

पंजीयन विभाग

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

VO 0004562646

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-RJ07768352874052O
Certificate Issued Date	:	30-Dec-2016 04:50 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ rjshcil01/ RAMBAGH/ RJ-JP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJSHCIL01102799296549770
Purchased by	:	AURIC INFRATECH PVT LTD
Description of Document	:	Article 33(c)(ii) Lease Deed for Local Bodies (Patta)
Property Description	:	KH NO 629 630/1 637/2 1176/826 GRAM JAISINGHPURA BAS BHANKROTA SANGANER JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	JDA
Second Party	:	AURIC INFRATECH PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	AURIC INFRATECH PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	2,33,280 (Two Lakh Thirty Three Thousand Two Hundred And Eighty only)

----------Please write or type below this line----------

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निजी खातेदारी भूमि में स्थित ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर
के खसरा नम्बर 629, 630/1, 637/2, 1176/826 की भूमि में अनुमोदित
क्षेत्रफल 9371.81 व.मी.
मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रयोजनार्थ
लीजडीड हेतु 2,33,280+50/–रूपये के स्टाम्प संलग्न है।

उपायुक्त जोन–11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

VO 0004580013

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

(F-335)

यह विलेख आज वर्ष 2017 के माह 01 के 02 वे दिन *जयपुर विकास प्राधिकरण/ ... 06 ... (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री आरिक इन्फ्राटेक प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री कमल [illegible] पुत्र श्री ब्यारसी लाल [illegible] जाति — व्यवसाय व्यापार निवासी [illegible] (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिले अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निषादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह जमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना [illegible] राजस्व ग्राम [illegible] के खसरा/भूखण्ड संख्या 629, 630/1, 637/2, 1176/1026 क्षेत्रफल 9371.81 व.मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिस पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों,संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्ते और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमान के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थातः-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये — अंके — मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारिय नगरीय निर्धारक (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर नियमन दर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत निःशुल्क [illegible] रूपये प्रति वर्गगज से कुल नियमन राशि — रूपये देय होती है जो चालान नं. — दिनांक — से जमा है। इसका 2.5 प्रतिशत की दर से शहरी जमाबन्दी देय है। आदेश क्रमाक : एफ-9(15) यू.डी./3/2001 दिनांक 15.1.2002 से 8 वर्षीय लीज राशि 933079/- रूपये होती है, जो चालान नं. 5200/ दिनांक 21.12.16 से जमा है।
3. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
4. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत-मॉडल-3A- प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाऐगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
6. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
7. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित सीमित अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
8. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकायको आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
9. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
10. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकास में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
11. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/ एच.डी.एफ.सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

* जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

(कृ.प.उ.)

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

परिशिष्ट

कस्बे का नाम: अमरसिंहपुरा (आगरा रोड़) ....

राजस्व ग्राम: ....

खसरा नम्बर: ....

योजना का नाम: मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 – मॉडल 3A

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज/मीटर 9371.819 व.मी.

पूर्व .... पश्चिम .... भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो .... सीमा उत्तर .... दक्षिण .... मानचित्र सलग्न है।

नोट:– इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी को जोड़कर पंजीकृत मूल्य राशि रु. 4665440/- होती है। अतएव स्टाम्प राशि रु. .... के न. .... के कुल संख्या 1-2 बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते है।

इसकी साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से
आज सन् 2017 के माह 01 के 02 वें दिन
श्री देवेन्द्र कुमार जैन
ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये–

उपायुक्त / प्राधिकृत अधिकारी
जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण–प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :–

1. नाम .... रईस मोहम्मद
   पुत्र .... कनिष्ठ सहायक
   व्यवसाय .... जोन-11
   निवास स्थान ....

साक्षी

2. नाम .... श्याम सिंह तंवर
   पुत्र .... सेवानिवृत्त कर्मचारी, संविदा
   व्यवसाय .... जविप्रा, जयपुर
   निवास स्थान ....

साक्षी

आज .... सन् 20........ के माह ....
के........................ वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री........................
लीजधारक द्वारा कार्यालय........................ में हस्ताक्षर किये गये।

For AURIC INFRATECH PVT. LTD.
Authorised Signatory

लीजधारक–द्वितीय पक्ष

साक्षी :–

1. नाम ARVIND SAINI
   पुत्र MUNNA LAL SAINI
   व्यवसाय Service
   निवास स्थान 154 New Anand Colony Phulera, Jaipur

साक्षी

2. नाम AJAY KUMAR BHOLIYAN
   पुत्र RANVEER Singh
   व्यवसाय Service
   निवास स्थान 1x/A Rajendra Marg Bapu nagar, Ward No. 45, Jaipur

साक्षी

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

12AA 080106

निजी खातेदारी भूमि में स्थित ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 629, 630/1, 637/2, 1176/826 की भूमि में अनुमोदित क्षेत्रफल 9371.81 व.मी.

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रयोजनार्थ लीजडीड हेतु 2,33,280+50/–रुपये के स्टाम्प संलग्न है।

उपायुक्त जोन–11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

उप रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

4772 30 DEC 2016

औरिक इन्फ्राटेक प्रा. लि.

56

अधिकृत जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा जयपुर

सौरभ गुप्ता
ला. स्टाम्प विक्रेता
143, श्री विहार कॉलोनी, दुर्गापुरा, जयपुर

30 DEC 2016

SUB-REGISTRAR, JAIPUR

Presentation Endorsement

आज दिनांक 11 माह 01 सन् 2017 को 11:21 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री KAMAL DEWAN AS DIR AURIC INFRATECH PVT LTD
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GYARSI LAL DEWAN
उम्र 45 वर्ष, जाति MAHAJAN , व्यवसाय Business
निवासी House No.:BUILDING NO 01-02, Colony: QUEENS HOUSE, Area: OPP. VIJAY DAWAR, City: JAIPUR, Pin code: 302021, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता — हस्ताक्षर उप पंजीयक, JAIPUR-V

201701019000188

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

सब रजिस्ट्रार, जयपुर पंचम

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201702019000202
दिनांक	11-01-2017
पंजीयन शुल्क ₹	46660
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	233280
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	46660
कुल योग	326900

201701019000188 — उप पंजीयक, JAIPUR-V

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

सब रजिस्ट्रार, जयपुर पंचम

Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री KAMAL DEWAN AS DIR AURIC INFRATECH PVT LTD, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GYARSI LAL DEWAN, व्यवसाय Businessजाति MAHAJAN House No.:BUILDING NO 01-02, Colony: QUEENS HOUSE, Area: OPP. VIJAY DAWAR, City: JAIPUR, Pin code: 302021, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Presenter Age : 45 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 4665440/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 4665440/- पूर्व में --------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री MONU GUPTA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री HANUMAN SAHAI GUPTA जाति MAHAJAN Age: 28 Add: House No.:0, Colony: BASSI, Area: BASSI, City: JAIPUR, Pin code: 303301, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN		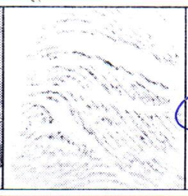	Signature

201701019000188

उप पंजीयक, JAIPUR-V

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

सब रजिस्ट्रार, जयपुर पंचम

Registration Endorsement

आज दिनांक 12/01/2017 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 945 में
पृष्ठ संख्या 70 क्रम संख्या 201703019100157 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3777 के
पृष्ठ संख्या 621 से 633 पर चस्पा किया गया।

201701019000188

उप पंजीयक, JAIPUR-V

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

उप पंजीयक, जयपुर (पंचम) (राज.) • SUB-REGISTRAR, JAIPUR-V •
पंजीयन विभाग
सत्यमेव जयते

SITE PLAN OF RESIDENTIAL SINGLE PATTA UNDER PROVISION 3A OF CHIEF MINISTER'S JAN AWAAS YOJANA 2015 IN KHASRA NO.629, 630/1, 637/2 & 1176/826 AT VILLAGE-JAISINGHPURA BAS BHANKROTA ,TEHSIL- SANGANER,JAIPUR

TOTAL PLOT AREA	10900.00 SQMTR	FAR	=AS PER BYE LAWS
AREA SURRENDERED UNDER ROAD 9M WIDE	1027.94 SQMTR	HEIGHT	=AS PER BYE LAWS
JDA FACILITY (5%)	500.25 SQMTR	GROUND COVERAGE	=AS PER BYE LAWS
NAT PLOT AREA	9371.81 SQMTR		

NOTE - THIS SITE PLAN IS BASED UPON SUPERIMPOSED MAP AND DIMENSION PROVIDED BY TDR /AMIN.

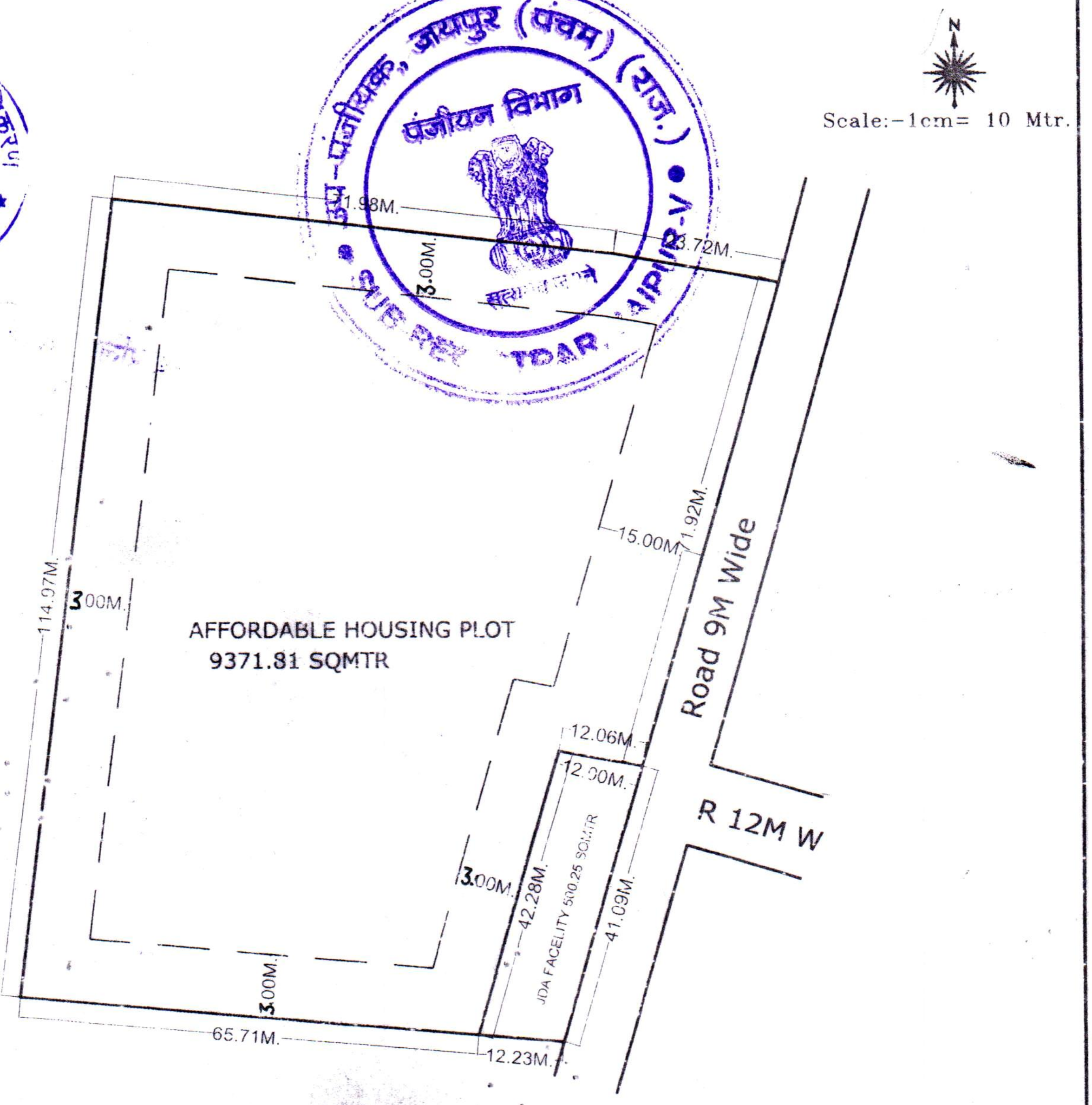

उपायुक्त प्राधिकृत अधिकारी
जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

SITE ENGINEER ZONE - 11	ATP/DTP ZONE - 11	DY. COMMISIONER ZONE - 11

JAIPUR DEVELOPEMENT AUTHORITY, JAIPUR.

Registration Endorsement

आज दिनांक 12/01/2017 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 945 में
पृष्ठ संख्या 70 क्रम संख्या 201703019100157 पर पंजीवद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3777 के
पृष्ठ संख्या 621 से 633 पर चस्पा किया गया।

201701019000188

उप पंजीयक, JAIPUR-V

उप रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within [illegible] months (Male)

उप-पंजीयक, जयपुर (पंचम) (राज.)
पंजीयन विभाग